बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 7/2/17

संख्या –3/एम0–19/2015सा0प्र0 1967 / संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियमितिकरण के मामलों की बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय–समय पर यथा संशाधित), संबंधित पदों की नियुक्ति संबंधी नियमावलियों एवं इस संबंध में पारित विभिन्न न्याय निणयों तथा राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के आलोक में जॉच कर, उनकी सेवा के नियमितिकरण के लिए अनुशंसा करने हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 6161 दिनांक– 24.04.2015 द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अधिसूचना संख्या– 6862 दिनांक– 12.05.2015 द्वारा मनोनीत श्री अशोक कुमार चौधरी, (भा0प्र0से0, 1972) द्वारा दिनांक– 13.05.2015 को उक्त समिति के अध्यक्ष–पद का प्रभार ग्रहण किया गया।

उक्त संकल्प की कंडिका–4 में प्रावधानित है कि मामलों पर विचार करने के पश्चात् समिति अपनी अनुशंसा 3 (तीन) माह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी। तदालोक में समिति का कार्यकाल दिनांक– 13.08.2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् कार्य की विशदता को देखते हुए, विभागीय अधिसूचना संख्या– 13219 दिनांक– 03.09.2015 द्वारा दिनांक– 13.11.2015 तक, विभागीय अधिसूचना संख्या– 16900 दिनांक– 07.12.2015 द्वारा दिनांक– 13.02.2016 तक, विभागीय अधिसूचना संख्या– 1705 दिनांक– 03.02.2016 द्वारा दिनांक– 13.08.2016 तक तथा पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या– 10751 दिनांक– 05.08.2016 द्वारा दिनांक– 13.02.2017 तक विस्तारित किया गया।

समिति का प्रतिवेदन/अनुशंसा, उक्त विस्तारित तिथि तक भी प्राप्त न होने की सम्भावना एवं उसके द्वारा किये जाने वाले अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का दायित्व भी समिति पर ही होने के कारण, सम्यक विचारोपरांत समिति के कार्यकाल को अगले एक वर्ष अर्थात् दिनांक– 12.02.2018 तक विस्तारित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

7/2/2017

(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या –3/एम0–19/2015सा०प्र० 1967 /पटना, दिनांक 7/2/ 2017

प्रतिलिपि– E-Gazttet कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

7/2/2017

(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या –3/एम0–19/2015सा0प्र0 1967/पटना, दिनांक 7/2/ 2017

प्रतिलिपि :– **श्री अशोक कुमार चौधरी, (भा0प्र0से0, 1972)**, अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/2/2017

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या –3/एम0–19/2015सा0प्र0 1967 / दिनांक 7/2/ 2017

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं विधि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/2/2017

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या –3/एम0–19/2015सा0प्र0 1967 / दिनांक 7/2/ 2017

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बिहार लोक सेवा आयेाग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिपार्ड, वाल्मि, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/2/2017

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव